न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री मीठालाल पुत्र छोगा जी, जाति- सुथार, निवासी- आकोली, तहसील व जिला-जालोर

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला-सिरोही
2. श्रीमती भगवती देवी पत्नि श्री गणपतलाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल, तहसील व जिला- सिरोही
3. स्वर्गीय श्रीमती लीलावती पत्नि श्री समरथमल, जाति- जैन पोरवाल, निवासी- जावाल, तहसील व जिला- सिरोही के कायम मुकामः-

3/1. श्री महावीर कुमार पुत्र श्री समरथमल, जाति- जैन, निवासी-जावाल, तह. सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 115/2017

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह आढा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह, अप्रार्थी संख्या- 3/1 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 11 फरवरी, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी श्री मीठालाल पुत्र छोगा जी, जाति- सुथार, निवासी- आकोली की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपत लाल जी अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट भूखण्ड का जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, जावाल से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। जबकि निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 3/1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत नही हुआ।

(3) प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दिनांक 06.2.2019 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आढा ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी मीठालाल के स्वतंत्र मालकी स्वामित्व का एक आवासीय भूखण्ड संख्या 148 ग्राम जावाल में अम्बेमाता मंदिर के पीछे नई आबादी भूमि में आया हुआ है, जिसकी चतुर्दशी पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम में गली 5 फीट व अंबाजी मंदिर, उत्तर में प्लॉट संख्या 147 व दक्षिण मं प्लॉट संख्या 149 आया हुआ है एवं उक्त भूखण्ड का नाप

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पूर्व 57 फीट, पश्चिम 60 फीट, उत्तर में 25 फीट व दक्षिण में 25 फीट कुल क्षेत्रफल 1462.5 वर्गफीट है। यह कि उक्त भूखण्ड संख्या 148 का पट्टा संख्या 91 दिनांक 29.9.1969 को ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के नाम से जारी किया गया है, जिसको प्रार्थी ने श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल से पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2012001164 दिनांक 28.5.2012 के द्वारा कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का निर्बाध रुप से कब्जा स्वामित्व है तथा प्रार्थी उक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। यह कि ग्राम पंचायत, जावाल को इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी कि उक्त भूखण्ड संख्या 148 का ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल को पट्टा संख्या 91 जारी किया हुआ है व उसका रेकर्ड भी ग्राम पंचायत में मौजूद है उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, जावाल ने अप्रार्थी संख्या-2 श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपत लाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के साथ मेल मिलाप कर उक्त भूखण्ड का दूसरा पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को अप्रार्थी श्रीमती भगवती देवी के पक्ष में जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत, जावाल को पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का कानूनन कोई हक अधिकार नही है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 भगवती देवी ने उक्त फर्जी पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 की आड में उक्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या-3 की माता श्रीमती लीलावती पत्नि समरथमल जी जैन पोरवाल, निवासी- जावाल को पंजीकृत बेचान लिखत दिनांक 14.1.1987 के द्वारा विक्रय कर दिया है, जबकि उक्त भूखण्ड संख्या 148 पर अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 का कभी भी कब्जा नही रहा है व न ही मौके पर कब्जा है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त फर्जी पट्टा संख्या 27 के आधार पर अप्रार्थी संख्या-3 को भूमि विक्रय करने का कोई हक अधिकार नही था एवं न ही मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 का कब्जा था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल ने पूर्व में सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक 29.9.1969 को विधि अनुसार न तो निरस्त करवाया है एवं न ही उक्त भूखण्ड संख्या 148 का कब्जा लिया है। यह कि उक्त पट्टा संख्या 91 के अस्तित्व में रहते हुए ग्राम पंचायत, जावाल को उसी भूखण्ड का अप्रार्थी श्रीमती भगवती देवी के पक्ष में दूसरा पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को जारी करने का काननून अधिकार नही था, इसलिये प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-3/1 (महावीर कुमार) के विद्वान अधिवक्ता श्री शाह ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा सूरजमल पुत्र श्री शंकरलाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 को नियम विरुद्ध जारी करने से पंचायत प्रसार अधिकारी, सिरोही ने ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा सूरजमल पुत्र श्री शंकरलाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

30.9.1969 को निरस्त कराने हेतु जिलाधीश, सिरोही के न्यायालय में पंचायत निगरानी प्रस्तुत की गई। जिलाधीश न्यायालय, सिरोही द्वारा उक्त पंचायत निगरानी संख्या 38/1978 पंचायत प्रसार अधिकारी बनाम ग्राम पंचायत, जावाल व सूरजमल में पारित निर्णय दिनांक 27.11.1978 के द्वारा श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1978 को निरस्त किया जा चुका है। यह कि श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में ग्राम पंचायत जावाल द्वारा जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 निरस्त होने के बाद में ग्राम पंचायत, जावाल ने भूखण्ड संख्या 148 की भूमि को कब्जे में लेकर ग्राम पंचायत, जावाल ने उक्त भूखण्ड संख्या 148 की भूमि को विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए आम नीलामी के द्वारा श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल को उच्चतम बोली के आधार पर विक्रय करते हुए श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को जारी कर कब्जा सुपर्द किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी अग्रवाल, निवासी- जावाल द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 148 पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 की भूमि को पंजीकृत बेचान दस्तावेज दिनांक 14.1.1987 (जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीकृत है) के द्वारा श्रीमती लीलावती पत्नि समरथमल, जाति- जैन पोरवाल, निवासी- जावाल को कीमतन विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपर्द किया। तब से उक्त भूखण्ड संख्या 148 के मौके पर अप्रार्थी महावीर कुमार अपनी माता लीलावती के जरिये काबिज होकर उक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग कर रहा है। यह कि अप्रार्थी महावीर कुमार ने ग्राम पंचायत, जावाल से निर्माण स्वीकृति दिनांक 07.6.1999 व निर्माण स्वीकृति क्रमांक 98 दिनांक 03.7.2012 को प्राप्त कर भूखयड के मौके पर निर्माण करवाया है। मौके पर प्रार्थी का न तो कब्जा है व न ही मौके पर कभी प्रार्थी का कब्जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 3/1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी अग्रवाल के पक्ष में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा जारी पट्टा संख्या 91 को जिला कलेक्टर न्यायालय, सिरोही द्वारा दिनांक 27.11.1978 को निरस्त कर देने के बाद सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल ने उक्त निरस्त किये गये पट्टे की भूमि का प्रार्थी मीठालाल को वर्ष 2012 में विक्रय किया गया है, जिसके संबंध में प्रार्थी मीठालाल ने सूरजमल पुत्र शंकरलाल अग्रवाल, निवासी- जावाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 आई.पी.एस. में मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें पुलिस थाना बरलुट द्वारा उक्त सूरजमल के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, सिरोही के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि प्रार्थी मीठालाल ने तथ्यों को छुपाते यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91/30.9.1969 को जिलाधीश न्यायालय, सिरोही द्वारा दिनांक 27.11.1978 को निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 3/1 के विद्वान अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

की जांच रिपोर्ट दिनांक 01.2.2017 में पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को अवैध व खारिज योग्य बताया है, इसलिये पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को निरस्त किया जावे।

(3) दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत, जावाल से प्राप्त रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो इस निष्कर्ष पर पॅहुचते है कि प्रार्थी मीठालाल पुत्र छोगाजी, जाति- सुथार, निवासी- आकोली ने ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में भूखण्ड संख्या 148 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट का जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन मुख्यत: इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि ''उक्त भूखण्ड संख्या 148 का ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पूर्व में श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में पट्टा संख्या 91 दिनांक 29.9.1969 को जारी किया हुआ है एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91 के अस्तित्व में रहते हुए ग्राम पंचायत, जावाल को उक्त भूखण्ड संख्या 148 का दुसरा पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 जारी करने का काननून अधिकार नही है।''

प्रार्थी का यह भी कथन है कि ''उक्त श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक 29.9.1969 की भूमि को प्रार्थी मीठालाल ने श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल से पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2012001164 दिनांक 28.5.2012 के द्वारा कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है।'' जबकि अप्रार्थी पक्ष का यह कथन है कि ''ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में भूखण्ड संख्या 148 का नियम विरुद्ध पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 को जारी किया गया था, जिसे निरस्त कराने हेतु पंचायत प्रसार अधिकारी, सिरोही द्वारा जिलाधीश न्यायालय, सिरोही में पंचायत निगरानी संख्या 38/1978 प्रस्तुत की गई थी जिसमें जिलाधीश न्यायालय, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.1978 के द्वारा श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 को निरस्त किया जा चुका है एवं उक्त श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में भूखण्ड संख्या 148 का पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 निरस्त हो जाने के बाद ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा भूखण्ड संख्या 148 को पुन: आम नीलामी में श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल को विक्रय किया गया है। तत्पश्चात् श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल द्वारा भूखण्ड संख्या 148 पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 की भूमि को पंजीकृत बेचान दस्तावेज 14.1.1987 (जो उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में पंजीकृत है) के द्वारा श्रीमती लीलावती पत्नि श्री समरथमल, जाति- जैन पोरवाल, निवासी- जावाल को कीमतन विक्रय कर कब्जा सुपर्द किया है।''

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

इस संबंध में ग्राम पंचायत, जावाल से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 को निरस्त कराने हेतु पंचायत प्रसार अधिकारी, सिरोही द्वारा ग्राम पंचायत, जावाल व सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी अग्रवाल, निवासी- जावाल के विरुद्ध जिलाधीश, सिरोही के न्यायालय में पंचायत निगरानी प्रस्तुत की गई, जो पंचायत निगरानी संख्या 38/1978 पर दर्ज हुई। जिलाधीश, सिरोही द्वारा उक्त पंचायत निगरानी संख्या 38/1978 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.1978 के अनुसार ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 को निरस्त किया गया है। जिलाधीश, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 27.11.1978 की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत, जावाल की पत्रावली में उपलब्ध है। ग्राम पंचायत, जावाल से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 के निरस्त हो जाने के बाद ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल को भूखण्ड संख्या 148 से कब्जा हटाने हेतु नोटिस क्रमांक 302 दिनांक 16.1.1979 को जारी किया गया है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 148 का दिनांक 27 व 28.4.1981 को आम नीलामी में श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल को विक्रय किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा भूखण्ड संख्या 148 का श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को जारी किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा श्री सूरजमल पुत्र शंकरलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 91 दिनांक 30.9.1969 को जिलाधीश न्यायालय, सिरोही द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 38/1978 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.1978 के द्वारा निरस्त कर दिया जाने के बाद ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 148 का आम नीलामी के द्वारा श्रीमती भगवती देवी पत्नि गणपतलाल जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- जावाल को विक्रय कर पट्टा संख्या 27 दिनांक 11.5.1981 को जारी किया है, जो विधि अनुरुप है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

11.02.19

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही